

**अनुसूची-4**  
**कृषि विभाग**  
**उद्यान निदेशालय**  
**हल्दी/अदरख/ओल का क्षेत्र विस्तार योजना का लाभ लेने हेतु एकरारनामा**  
**(गैर-रैयत कृषक)**  
**(विहित प्रपत्र)**

प्रमाणित किया जाता है कि

1. मैं.....पिता/पति.....  
ग्राम.....पोस्ट.....पंचायत.....  
प्रखंड.....जिला.....का निवासी हूँ।  
मैंने हल्दी/अदरख/ओल का क्षेत्र विस्तार के लिए कृषक श्री.....  
.....पिता/पति.....ग्राम.....पोस्ट.....  
पंचायत.....प्रखंड.....जिला.....से खाता  
संख्या.....खेसरा संख्या.....रकवा..... जमीन बटाई/पट्टा पर प्राप्त  
किया है।
2. बटाई/पट्टा पर ली गई उपर्युक्त जमीन पर मेरे द्वारा हल्दी/अदरख/ओल का क्षेत्र विस्तार  
की जायेगी।
3. उपर्युक्त सूचना सही है एवं किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सारी जवाबदेही मेरी  
होगी तथा मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

**कृषक का पूर्ण हस्ताक्षर**

खेत के बगल के दो किसानों का नाम, हस्ताक्षर एवं मोबाईल नं०

|   |                     |           |            |
|---|---------------------|-----------|------------|
| 1 | गवाह का नाम एवं पता | हस्ताक्षर | मोबाईल नं० |
|   | .....               | .....     | .....      |
|   | .....               |           |            |
|   | .....               |           |            |
| 2 | गवाह का नाम एवं पता | हस्ताक्षर | मोबाईल नं० |
|   | .....               | .....     | .....      |
|   | .....               |           |            |
|   | .....               |           |            |

**सत्यापनकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर**  
(पदनाम:— कृषि समन्वयक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/प्रखंड कृषि पदाधिकारी)